# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
# हरिद्वार – 249404

**Website- psc.uk.gov.in**

पत्रांक : 18 / 46 / ई–1 / डी0आर0(पी0सी0एस0) / 2020–21 दिनांक : 12 अप्रैल, 2024

## विज्ञप्ति

## 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 95 ऑफ 2024 (एस / बी), रिट याचिका संख्याः 68 ऑफ 2023 (एस / बी), रिट याचिका संख्याः 85 ऑफ 2023 (एस / बी) तथा रिट याचिका संख्याः 96 ऑफ 2023 (एस / बी) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 एवं 20.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिव्यांगजन उपश्रेणी के 04 पदों के सापेक्ष दिनांक 23 फरवरी, 2023 से 26 फरवरी, 2023 को सम्पन्न मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 01/11/PCM(M)-21/G-1/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा घोषित किया गया है। उक्तांकित परीक्षा के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन **दिनांक 22 अप्रैल, 2024 को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में** किया जाना निर्धारित है।

**02.** उक्त परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को पदों / विभागों की ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरे जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक **15 अप्रैल, 2024** से खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक **15 अप्रैल, 2024** से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व पदों / विभागों की ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात **ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट (जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी समाहित होगा)** डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

**03.** अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के अनुसार उक्तांकित बिन्दु संख्या–02 में वर्णित ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त

प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदशिका एवं मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों के आलोक में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अर्ह घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। **अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

**04.** अभिलेख सत्यापन (Documents Verification) अनुक्रमांकवार / तिथिवार निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार निर्धारित हैः–

## <u>अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम</u>

### 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) – प्रथम सत्र (प्रातः 9:30 बजे से)
### (कुल–13 अभ्यर्थी)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103116 | 132481 | 138637 | 140852 | 142808 | 145534 | 146954 |
| 176827 | 194958 | 208109 | 283210 | 286469 | 306043 | - |

**नोट– उक्त तिथि को अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रथम सत्र में प्रातः 9:30 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रथम सत्र हेतु प्रातः 9:00 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।**

**06.** अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, चैकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे–

1. समेकित ऑनलाइन आवेदन पत्र (Consolidated Online Application Form), जिसमें पदों की वरीयता अंकित हों।
2. विस्तृत आवेदन–पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या–02)
3. प्रमाणीकरण–पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या–03)
4. देशना–पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या–04)।
5. चैकलिस्ट (Check List)
6. नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा।
7. पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। (प्रपत्र संख्या–02, 04 के फोटो के अतिरिक्त)
8. आधार कार्ड

**07.** यदि अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**08.** आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

**Sd/-**

**(जी0एस0 रावत)**

**सचिव।**